प्रेस विज्ञप्ति

10/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 06/09/2024 को बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े जिसमे 125 करोड़ रुपये से अधिक का अपराध शामिल है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध शामिल है इसके तहत मेसर्स पीकेएस लिमिटेड के आवासीय और कार्यालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने मेसर्स पीकेएस लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, बीएस एंड एफसी, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स पीकेएस लिमिटेड और उसके निदेशकों स्वपन कुमार साहा, नारायण चंद्र साहा और गोपाल साहा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची और कंपनी के बारे में कुछ तथ्य छिपाकर धोखाधड़ी से 154.64 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया। कंपनी और उसके निदेशक स्वीकृत शर्तों का पालन करने में विफल रहे और खाते में अनियमित संचालन हुआ जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी का ऋण खाता 30.06.2010 को एनपीए में बदल गया, जिससे गलत तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 129.75 करोड़ (लगभग) रुपये की हानि हुई और मेसर्स पीकेएस लिमिटेड और उसके निदेशकों को गलत लाभ हुआ।

अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने के लिए, ईडी ने स्वपन कुमार साहा, कुणाल रॉय के आवासीय परिसरों और मेसर्स पीकेएस लिमिटेड के कार्यालय परिसरों में तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप, इस कार्यालय ने स्वपन कुमार साहा के आवास से 9.2 किलोग्राम सोने के आभूषण और 165.2 कैरेट हीरे जब्त किए हैं। सोने और हीरे के आभूषणों का संचयी मूल्य लगभग 6.56 करोड़ रुपये है। ईडी ने स्वपन कुमार साहा की कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 10.3 करोड़ रुपये की शेष राशि है। इसके अलावा, ईडी ने स्वपन कुमार साहा के आवास से 10 लाख रुपये नकद जब्त किए।इस प्रकार, तलाशी के दौरान कुल 16.96 करोड़ रुपये (लगभग) की जब्ती हुई। इसके अलावा, ईडी ने मेसर्स पीकेएस लिमिटेड, स्वपन कुमार साहा और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 15 करोड़ रुपये (लगभग) की कई अन्य अचल संपत्तियों की भी पहचान की है।

आगे की जांच जारी है